प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई
स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज)
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समस्त आबद्ध चिकित्सालय,उ0प्र0

पत्रांकःए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई/पत्रा– 1386 /2020–21/लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

विषयः <u>आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्र के मानदेय की दरों का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में</u>।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं01215/पांच–1–2020–5(19)/2018 टी0सी0–1 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या 2259/पाच–6–2018–5 (19)/2018 टी0सी0–1 दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्रों का मानदेय रू0 5000/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। संलग्न शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा आरोग्य मित्रों का मानदेय रू0 5,000/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 10,000/– प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका भुगतान चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि से किया जायेगा।

कृपया योजनान्तर्गत आबद्ध समस्त सरकारी चिकित्सालयों में उक्त व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही समस्त निजी चिकित्सालयों जो योजना के अन्तर्गत आबद्ध हैं, को भी शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के अनुरूप आरोग्य मित्रों को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीया,
20/10/2020
(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई/ 2020–2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि : समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी